न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:– अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 44/2025 प्रा0 पत्र | दायर दिनांक 13.01.2025 | निर्णय दिनांक 27-10-2025

उनवान

श्री छोगा पुत्र देबी भील, निवारी हरदेवपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगु पुत्र हेमा बैरवा, निवासी पाटनिया, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
2. श्री अम्बालाल पुत्र हजारी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती अमरी पत्नी नारायण गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. उदी पुत्री हजांरी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
5. चांदी पुत्री हजारी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
6. बदाम पुत्री हजारी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
7. माया देवी पुत्री नारायण गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. मोना पुत्री हजारी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा सख्या।
9. श्री लेहरूलाल पुत्र नारायण गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. श्री शम्भुलाल पुत्र हजारी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. श्री शिवलाल पुत्र नारायण गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. श्री सुखदेव पुत्र हजारी गुर्जर, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. श्रीमती गंगा पत्नी रघुनाथ बैरवा, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
14. श्री गोपाल पुत्र रघुनाथ बैरवा, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
15. श्री दयाल पुत्र रघुनाथ बैरवा, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. देवी पुत्री रघुनाथ बैरवा, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
17. श्री सोहन पुत्र रघुनाथ बैरवा, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज०) .

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन, उपस्थित।

2–विपक्षी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं।

3–विपक्षी संख्या 01 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पाटनिया, पटवार हल्का दान्थल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसके आराजी संख्या 174/13 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है।

[illegible] अधिकारी

उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है, तथा प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रास्ता ग्राम पाटनिया, पटवार हल्का दान्थल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील, जिला भीलवाड़ा (राज०) का रेकॉर्डेड रास्ता जिसके आराजी संख्या 175 से होते हुये आराजी संख्या 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर से होते हुये आराजी संख्या 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर मे से आराजी संख्या 174/14 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में से होते हुये मै प्राथी अपनी आराजी संख्या 174/13 रकबा 1.5427 हैक्टेयर में आया जा सकता है तथा आराजी संख्या 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर में खातेदार मांगु पुत्र हेमा बैरवा निवासी पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा एवं आराजी संख्या 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर में खातेदार अम्बालाल पुत्र हजारी गुर्जर, अमरी पत्नी नारायण गुर्जर, चंदी पुत्री हजारी गुर्जर, चांदी पुत्री हजारी गुर्जर, बदाम पुत्री हजारी गुर्जर, माया देवी पुत्री नारायण गुर्जर, मोना पुत्री हजारी गुर्जर, लेहरूलाल पुत्र नारायण गुर्जर, शम्भुलाल पुत्र हजारी गुर्जर, शिवलाल पुत्र नारायण गुर्जर, सुखदेव पुत्र हजारी गुर्जर, निवासीयान पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा एवं आराजी संख्या 174/14 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में खातेदार गंगा पत्नी रघुनाथ बैरवा, गोपाल पुत्र रघुनाथ बैरवा, दयाल पुत्र रघुनाथ बैरवा, देवी पुत्री रघुनाथ बैरवा, सोहन पुत्र रघुनाथ बैरवा, निवासीयान पाटनिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा के नाम पर दर्ज है तथा आराजी संख्या 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर, आराजी संख्या 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, आराजी संख्या 174/14 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में से मुझ प्रार्थी को रास्ता दिया जावे जो कि उपरोक्त अनुसार अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है।

उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा मुझ प्रार्थी की आराजियात में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नहीं है, इसलिये मुझ प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 174/13 रकबा 1.5427 हैक्टेयर में आवागमन हेतु आराजी संख्या 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर आराजी संख्या 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, आराजी संख्या 174/14 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में जो प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शित है, जो प्रार्थनापत्र के साथ पेश है, जो प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है, में 30 फीट चौड़ाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना वांछित है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की ग्राम पाटनिया, पटवार हल्का दान्थल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित आराजी संख्या 174/13 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 17 की आराजी संख्या 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर आराजी संख्या 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, आराजी संख्या 174/14 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में जिसे प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नक्शे में मार्क ए से बी दर्शित है, में 30 फीट चौड़ाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करा उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खाता कायम करा नक्शे में भी तरमीम करायें जाने का आदेश प्रदान करावे, इस हेतु प्रार्थी सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये सदैव से तैयार एवं तत्पर है।

[redacted] अधिकारी
[redacted]

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र कमांक 277 दिनांक 20.06.2025 से रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि राजस्व नक्शें अनुसार वादी भूमि खातेदारी आराजी नम्बर 174/13 में आने–जाने हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है। वादी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादीगणों की आराजियात में से रास्ता चाहता है वादी गै0मु0 रास्ता आराजी नम्बर 175 में से होकर आराजी नम्बर 174/16 से होकर, आराजी नम्बर 174/15 में से होकर, आराजी नम्बर 174/14 में से होकर उत्तरी मेड से होकर अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 174/13 में आने–जाने हेतु रास्ता चाहता है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। वादी को 12 फीट चौडा रास्ता देने पर आराजी नम्बर 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर, में से 0.0126 है0 भूमि एवं आराजी नम्बर 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर में से 0.0126 है0 भूमि एवं आराजी नम्बर 174/14 रकबा 1.4542 है0 में से 0.0260 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 0.0512 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बनता है। उक्त रास्तें हेतु वादी–प्रतिवादी ने मौके पर सहमति जाहिर की है।

ग्राम पाटनिया की उक्त असिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,66,400 /– प्रति हैक्टेयर है। वादी प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 174/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर में से 0.0126 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु चाहता है। उक्त आराजी में से रास्तें का रकबा 0.0126 हैक्टेयर अनुसार कीमत 0.0126 गुणा 2,66,400 /– = 3,356.64 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 6,713.28 रूपये बनती है। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 12 तक की आराजी नम्बर 174/15 रकबा 0.5943 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता चाहता है। उक्त आराजी में से रास्तें का रकबा 0.0126 हैक्टेयर अनुसार कीमत 0.0126 गुणा 2,66,400 /– = 3,356.64 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 6,713.28 रूपये बनती है। प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 17 तक की आराजी नम्बर 174/14 रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि में से रास्तें का रकबा 0.0260 हैक्टेयर अनुसार कीमत 0.0260 गुणा 2,66,400 /– = 6,926.40 रूपये बनती है जिसको दुगनी करने पर 13,852.80 रूपये बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दोगुना राशि भुगतान हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पाटनिया, पटवार हल्का दान्थल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 174/13 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने हेतु प्रस्तावित नक्शें अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 174/16 में से 0.0126 हैक्टेयर भूमि एंव प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 12 तक की आराजी नम्बर 174/15 में से 0.0126 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 17 तक की आंराजी नम्बर 174/14 में सें 0.0260 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

00278

212

प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 174/16 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्तें की दोगुनी राशि 6,713.28 रूपये एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 12 तक की आराजी नम्बर 174/15 में से प्रस्तावित रास्तें की दोगुनी राशि 6,713.28 रूपये एवं प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 17 तक की आराजी नम्बर 174/14 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्तें की दोगुनी कीमत 13,852.80 रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 01 से लगायत 17 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 से लगायत 17 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस यौम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा